



मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी
M.P. STATE HAJ COMMITTEE
मध्य प्रदेश शासन

(भारत सरकार के हज अधिनियम 2002 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

Web Site : www.mphajcommittee.com, e-mail : mpshcbhopal@yahoo.in
Haj House, Gram Singarcholi, Behind Gulmohar Gardan, Airport Road, Bhopal-462036 (M.P.)
PH:-0755-2530139, FAX :- 0755-2538039

REF:MPSHC/37/2023/ 116

DATE : 28/07/23

प्रति,

जनसम्पर्क आयुक्त,
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- हज-2023 हेतु रूवात में ठहरने की अनुमति वाले हज यात्रियों द्वारा अधिक जमा की गई राशि वापस करने के संबंध में निम्न प्रेस विज्ञप्ति भेजी जा रही है जिसे राज्य के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के समस्त केन्द्रों से प्रसारित कराने वाबत्।

प्रेस विज्ञप्ति

हज कमेटी ऑफ इण्डिया से प्राप्त जानकारी अनुसार मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रफत वारसी (कैबिनेट मंत्री दर्जा, म.प्र. शासन) ने बताया कि हज-2023 के लिए जिन हज यात्रियों ने हज आवेदन करते समय रूवात का विकल्प चुना था और उन्हें रूवात आवंटित हो गयी है। उन हज यात्रियों को हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर क्रमांक-24 अनुसार सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा जो राशि अधिक जमा की गई है वह राशि प्राथमिकता के अधार पर शीघ्र ही वापस कर दी जायेगी

अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी की वेबसाइट www.mphajcommittee.com पर परिपत्र क्रमांक 24 (हज-2023) का अवलोकन कर सकते हैं। एवं दूरभाष क्रमांक 0755-2530139 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

(मसूद अखतर सिददीकी)

सचिव

मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी